न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 05/2025

1. रणवीर सिंह पुत्र जगमेल सिंह जाति जट सिख निवासी चक ढ़ाणी चक 47 एसएसडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुगानगढ़।
2. हरदीप सिंह पुत्र जगमेल सिंह जाति जट सिख निवासी चक ढ़ाणी चक 47 एसएसडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बहलोलनगर, पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत बहलोलनगर पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध प्रस्ताव संख्या—2 दिनांक 15.11.2021 ग्राम पंचायत बहलोलनगर को अपास्त करने बाबत

उपस्थितः— 1. श्री राजेशदीप राय अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री खुशप्रीत सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 02

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

—:निर्णयः—

दिनांकः—16.04.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता की तहसील पीलीबंगा के चक 47 एससडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 67/325 के किला नम्बर 17, 24. 25 पत्थर नम्बर 68/325 के किला नम्बर 12, 19, 20, 21, 22 व पत्थर नम्बर 69/325 के किला नम्बर 12, 19, 20, 21, 22 कुल 13 बीघा कृषि भूमि है। प्रार्थी के पिता महेन्द्र सिंह ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सन् 1980 में खरीद की थी। उपरोक्त कृषि भूमि के चिपते ही चक 44 एसएसडब्ल्यू ग्राम पंचायत बहलोलनगर की आबादी भूमि है। प्रार्थीगण के दादा महेन्द्र सिंह ने सन् 1980 में 225 गुणा 160 फुट भूखण्ड पर कब्जा कर व निर्माण कर चारदीवारी कर उपयोग व उपभोग करने लगे। उपरोक्त भूखण्ड का आसा पासा निम्नलिखित है उत्तर 160 फुट जगमेल सिंह का भूखण्ड दक्षिण 160 फुट गली आम पूर्व 225 फुट गली आम पश्चिम 225 फुट गली आम उपरोक्त भूखण्ड के उत्तर की ओर प्रार्थीगण के पिता ने 120 गुणा 160 फुट पर सन् 1980 में ही चार दीवारी कर ली व उपरोक्त भूखण्ड का उपयोग व उपभोग करने लगे। प्रार्थीगण के पिता के आधिपत्य व धारण के भूखण्ड का आसा पास निम्नलिखित है उत्तर 160 फुट गली आम दक्षिण 160 महेन्द्र सिंह का भूखण्ड फुट गली आग पूर्व 120 फुट गली आम पश्चिम 120 फुट गली आम वर्णित भूखण्ड में से प्रार्थीगण के दादा महेन्द्र सिंह ने दक्षिणी पश्चिमी ओर 75 गुणा 100 फुट भूखण्ड आदरान को विक्रय कर दिया जो उसने आगे विक्रय कर दिया जो वर्तमान में मनीराम पूनियां के आधिपत्य व धारण में है शेष भूखण्ड प्रार्थीगण के दादा के आधिपत्य व धारण में रहा तथा उनकी मृत्यु होने के पश्चात् प्रार्थीगण के आधिपत्य व धारण में चला आ रहा है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के उपरोक्त भूखण्ड में पुरानी निर्मित चार दीवारी व कच्चा कमरा अत्यधिक पुराना व कच्चा होने के कारण क्षतिग्रस्त होकर

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

गिर गया उसके स्थान पर प्रार्थीगण ने पक्की चार दीवारी व पक्का कमरा निर्मित किया है तथा उपरोक्त भूखण्ड में प्रार्थीगण ने विद्युत सम्बंध भी प्राप्त किया हुआ है। उपरोक्त भूखण्ड के नियमन हेतु दिनांक 20.06.2011 को नियमन प्रार्थना पत्र भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन अप्रार्थीगण ने कोई कार्यवाही नहीं की जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अर्सा 4 वर्ष पूर्व पुनः नियमन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्तमान ग्राम पंचायत सरपंच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल का है जबकि प्रार्थीगण भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में प्रार्थीगण व उसके परिवार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी का राजनीतिक रूप से विरोध किया था जिसको लेकर अप्रार्थी संख्या–2 के वर्तमान सरपंच श्री गुरलाल सिंह प्रार्थीगण व उसके परिवार के साथ राजनीतिक द्वेषता व रंजिश रखता है तथा येन केन प्रकारेण प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अप्रार्थीगण ने मिथ्या आधारों पर एक नोटिस प्रार्थीगण के पिता को जारी किया था जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण के पिता ने माननीय न्यायालय में निगरानी बअनवानी मगेल सिंह बनाम ग्राम पंचायत बहलोलनगर निगरानी संख्या–32/2024 प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्ताव दिनांक 15.11.2021 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें प्रस्ताव संख्या–2 में प्रश्नगत स्थल को विभिन्न सरकारी कार्यालय हेतु आरक्षित किये जाने का उल्लेख है। जबकि प्रश्नगत स्थल प्रार्थीगण व उनके पिता के आधिपत्य व धारण में है तथा उपरोक्त भूखण्ड के नियमन हेतु प्रार्थीगण व उनके पिता द्वारा नियमन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये हुए हैं। प्रार्थीगण प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 15.11.2021 ग्राम पंचायत बहलोलनगर से विपरीत रूप से प्रभावित है तथा इसे अपास्त करवाने हेतु निम्नलिखित निवेदन करते है–कि प्रश्नगत प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.11.2021 पारित करने से पूर्व मौके पर कोई जांच नहीं की गई जबकि प्रश्नगत भूखण्ड पर सन् 1980 से प्रार्थीगण के दादा महेन्द्र सिंह का उनके जीवनकाल तक व उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण का आधिपत्य व धारण चला आ रहा है। वस्तुतः ग्राम पंचायत के सरपंच ने राजनीतिक द्वेषतापूर्ण प्रार्थीगण को बेजा नुकसान पहुंचाने के दुराशय से उक्त प्रस्ताव पारित किया है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को सार्वजनिक रूप से उपयोग में लेने अथवा सरकारी विभाग को जमीन देने से पूर्व आमसभा की बैठक होनी अनिवार्य है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में आमसभा की बैठक नहीं हुई। ग्राम पंचायत ने दिनांक 10.01.2025 को मिथ्या रूप से आम सभा की बैठक दर्शायी है। वस्तुतः ऐसी कोई आम सभा की बैठक दिनांक 10.01.2025 को नहीं हुई ताहम भी अभिकथित बैठक दिनांक 10.01.2025 प्रश्नगत प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.11. 2021 के पश्चातवर्ती है। अभिकथित प्रस्ताव आम सभा की बैठक दिनांक 10.01. 2025 पारित करने से पूर्व कोई सूचना सार्वजनिक रूप से सम्प्रेषित नहीं की गई। प्रश्नगत प्रस्ताव दिनांक 15.11. 2021 में प्रश्नगत स्थल की पहचान व आसा पासा दर्ज नहीं है। उक्त प्रस्ताव में दर्ज स्थान 380 गुणा 165 दर्शाया है जबकि मौके के अनुसार उपरोक्त साईज मेल नहीं खाता। वस्तुतः ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपनी राजनीतिक द्वेषता के कारण मिथ्या रूप से दिनांक 15.11. 2021 का प्रस्ताव दर्शाया है जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त भूमि कभी भी सार्वजनिक भूमि होना नहीं माना। प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रश्नगत भूखण्ड को सार्वजनिक भूमि होने का उल्लेख किया गया है जबकि यह सार्वजनिक भूमि नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है जो भूखण्डों के रूप में है तथा ग्राम पंचायत के नक्शा में भी उक्त भूखण्डों को आबादी भूखण्ड के रूप में दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत ने नक्शा के विपरीत जाकर प्रश्नगत भूखण्ड को सार्वजनिक भूमि होना व्यक्त कर प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में प्रश्नगत भूखण्ड को विभिन्न सरकारी कार्यालयों हेतु आरक्षित किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि उन कार्यालयों के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत ने मात्र प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के आशय से मिथ्या रूप से सरकारी कार्यालयों का मिथ्या उल्लेख कर उक्त प्रस्ताव

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पारित किया है। ग्राम पंचायत बहलोलनगर के चक 44 एसएसडब्ल्यू में अधिकतर व्यक्तियों के पास कब्जा के भूखण्ड है जिनका अभी कोई पट्टा जारी नहीं हुआ। आक्षेपित प्रस्ताव में प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बंध में वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं होने का उल्लेख किया गया है जबकि उपरोक्त भूखण्डों पर प्रार्थीगण का आधिपत्य व धारण है तथा प्रार्थीगण इसका उपयोग व उपभोग कर रहे हैं तथा उनका चारदीवारी व कमरा निर्मित था व वर्तमान में प्रार्थीगण का पक्की चार दीवारी व पक्का कमरा निर्मित है लेकिन ग्राम पंचायत ने आनन फानन में पिछली तारीख में उक्त प्रस्ताव पारित किया है। आक्षेपित प्रस्ताव पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया बल्कि आनन फानन में मिथ्या व बिना आवश्यकता के उक्त प्रस्ताव पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के पास ओर खाली भूमि उपलब्ध है जिसमें वे आरक्षित कर सकते हैं। ग्राम पंचायत ने आक्षेपित प्रस्ताव छिपे तौर पर पारित किया है। आक्षेपित प्रस्ताव का प्रार्थीगण को सर्वप्रथम ज्ञान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी संख्या 326/2024 बअनवानी जगमेल सिंह बनाम ग्राम पंचायत बहलोलनगर में दिनांक 17.01.2025 को आक्षेपित प्रस्ताव की नकल प्रस्तुत करने पर तत्पश्चात् प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रार्थीगण को बताने पर हुआ इससे पूर्व प्रार्थीगण को आक्षेपित प्रस्ताव का ज्ञान नहीं था। मामला अचल सम्पत्ति से सम्बंधित है तथा उक्त निगरानी कानूनी रूप से बल रखती है। निगरानी प्रार्थीगण ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 15.11.2021 ग्राम पंचायत बहलोलनगर को अपास्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये अप्रार्थीगण द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 15.11.2021 ग्राम पंचायत बहलोलनगर को अपास्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि पूर्वक रूप से मौके की जांच कर दिनांक 15.01.2021 को प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि की आवश्यकता होने के कारण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित की थी। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के स्थान पर प्रार्थीगण के आधिपत्य में होने के तथ्य मिथ्या व झूठे अंकित किये है। प्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के स्थान पर नियमन हेतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा ना ही कानुनन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि की जगह का नियमन किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय के सामने विभिन्न सरकारी कार्यालयों हेतु आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण करने के आशय से मिथ्या आधारो पर निगरानी प्रस्तुत की है अगर प्रार्थीगण को प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.11.2021 के विरूद्ध कोई आपति/ऐतराज है तो प्रार्थीगण धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत समिति के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिए थी इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व स्थगन आदेश प्रार्थीगण काबिल खारिजी है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिनांक 15.11.2021 मौके की वास्तविक स्थिति व पैमाईश अनुसार 380 गुणा 165 फुट जगह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। दिनांक 10.01.2025 को आम सभा की कोई बैठक ग्राम पंचायत द्वारा नही दर्शायी गई है बल्कि दिनांक 10.01.2025 को प्रस्ताव दिनांक 15.11.2021 की प्रतिलिपी तैयार की गई है जिसे प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या रूप से पश्चातवर्ती होने के कथन दर्ज किये है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.01.2025 प्रकरण सख्या 32/2024 की पालना को रोकने तथा हम अप्रार्थीगण को नाजायज तंग परेशान करने की गर्ज से उक्त निगरानी प्रस्तुत की है, जब प्रार्थीगण का किसी स्थान पर कब्जा ही नहीं है तो बेदखल करने के तथ्य स्वतः ही झूठे व गलत सावित होते है। इससे पूर्व निगरानीकर्ता के पिता द्वारा भी हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही रही है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने से हम अप्रार्थीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायत द्वारा मीटिंग में प्रस्ताव लिया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को भलीभांति है परन्तु लगभग 03 वर्ष की लम्बी समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद तथा कानून द्वारा निर्धारित मियाद अवधि व्यतीत होने उपरान्त अपीलाधीन आदेश को मिथ्या आधारो पर चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रार्थीगण द्वारा देरी बाबत अन्य कोई विश्वसनीय कारण नही दिया गया है, जबकि देरी में प्रत्येक दिन व प्रत्येक मिनट बाबत स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र में वर्णित करना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीगण नेकनियत नहीं है तथा ना ही स्वच्छ हाथो से माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर आये है। प्रार्थीगण निगरानी पेश करने में हुई देरी को क्षमा करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा लगभग 03 वर्ष की देरी बाबत प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण कानूनन प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए था लेकिन प्रार्थीगण द्वारा कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, हम अप्रार्थीगण की हद तक मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व निगरानीकर्ता के शपथ पत्र के आधार पर निगरानी में हुयी देरी को न्यायहित में माफ (कन्डोन) करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।
2. ग्राम पंचायत बहलोलनगर पंचायत समिति हनुमानगढ द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 15.11.2021 में भूखण्ड का आसा–पासा अंकित नही किया है।
3. पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2011 ग्राम पचांयत बहलोनगर को नियमन करवाने हेतु पेश किया हुआ है। जिस पर हुई कार्यवाही का ग्राम पचांयत द्वारा अवगत नही करवाया है।
4. पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 32/2024 अनवान जगमेल सिंह बनाम ग्राम पंचायत बहलोलनगर में जारी आदेश दिनांक 31.01.2025 से प्रश्नगत प्रस्ताव के क्रम में जारी नोटिस के सदर्भ में प्रकरण ग्राम पंचायत बहलोलनगर को प्रतिप्रेषित किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्णय की पालना पेश नही की है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश वाके ग्राम पंचायत बहलोलगनर पंचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 15.11.2021 को निरस्त किया जाता है। समस्त पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत बहलोलनगर को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़